

CASE NO:- 19/2021  
WMS No 1 2021/93

18/6/21

पगावली आज पेश हुई

कपीलार्थी को अतीत सुनवाई हेतु नोटिस  
lock down period में दिया गया था एक बार  
अपना पेशा जाकर पुनः नोटिस दिया जाकर  
पगावली दिनांक 13/7/21 को पेश हो

924  
21/6/21

जिला कलेक्टर, बाली

13-7-21

पगावली आज पेश हुई।

कपीलार्थी द्वारा यह कपील सूचना  
के अधिकार अधिनियम 2015 की धारा 19(1)  
के तहत रेश्यो. क्रि. जिला कलेक्टर बाली  
के विरुद्ध प्राप्त कर कोषित सूचना उपलब्ध  
करते हेतु नोटिस किया है

इस न्यायालय द्वारा ADM बाली  
को सूचना उपलब्ध करके वाक्य लिखित  
पर उन्हे अपने फाउंड गले सू. नं. (613)/73/586-87  
दिनांक 1-4-21 एवं 686 दिनांक 16-4-2021 के सूचना प्राप्त  
किए जाने का उल्लेख करते हुए प्रत्युक्त कोषित निर्देश  
इस न्यायालय द्वारा कपीलार्थी को प्रदत्त सूचना वाक्य  
कपता पस रखते हेतु उपर रखे हेतु नोटिस दिया गया  
उक्त नोटिस अधि फाउंड 767 डि 55-21 एवं 924 डि  
21-6-21 के कोषित किए गए। कपीलार्थी अपने पस के  
प्राप्त कर हेतु वाक्य रेश्यो. क्रि. नोटिस कोषित कर  
के भी अनु. रहा। इस से जाहिर होता है कि उन्हे  
प्राप्त सूचना वाक्य कुछ नहीं कहना है। इस कपील  
के संदर्भ में वर्तमान के कपील प्रकार की कार्यवाही  
कोषित नहीं रह जाती है। लिहाजा कपील कपीलार्थी  
निरस्त की जाती है।

पगावली इस न्यायालय से शुभार  
चौकल की जाकर नम्वर से कर हो।

जिला कलेक्टर, बाली

